न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 144/2019(2019/00226)

अनवान : —

1. जलेसिंह पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. श्योचन्द पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
2. बलराम पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
3. रिछपाल पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
4. गिनोदेवी पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
5. कमलेश पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
6. ओमीदेवी पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
7. शीला पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
8. दर्शना पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
9. रोशनी देवी पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
10. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री धर्मपाल बेरवाल वादी
श्री राजेश बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 20/10/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम भांगवा के वर्तमान खाता सं 127/128 के खसरा नम्बर 30 की 3.4010 हैक्टेयर, खसरा संख्या 74 की 4.894 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 178 की 5.5760 हैक्टेयर कुल खसरा 3 की कुल 13.8710 हैक्टेयर बारानी प्रतिवादी संख्या 1 श्योचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते हैं। वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हंसराम की खातेदारी हुआ करती थी। हंसराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी श्योचन्द के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को वहिस्सा बरावर के अनुसार विरासतन मिली थी। परन्तु प्रतिवादी श्योचन्द कर्ता खान दान होने के चलते

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी श्योचन्द ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी श्योचन्द के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 श्योचन्द को वादी के दादा हंसराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम भांगवा के प्रविष्टि संख्या 288 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में हक व हिस्सा बराबर है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी जलेसिंह पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी भांगवा के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में जमाबंदी ग्राम भांगवा सम्वत 2071–74 खाता संख्या 127/128 प्रदर्श 1, जमाबदी खतौनी ग्राम भांगवा सम्वत 2047 खाता संख्या 8/8 प्रदर्श 2, सरपंच ग्राम पंचायत भांगवा का सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा ग्राम भांगवा के वर्तमान खाता सं 127/128 के खसरा नम्बर 30 की 3.4010 हैक्टेयर, खसरा संख्या 74 की 4.894 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 178 की 5.5760 हैक्टेयर कुल खसरा 3 की कुल 13.8710 हैक्टेयर बारानी प्रतिवादी श्योचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि [illegible] साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 9 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। परन्तु प्रतिवादी सं 4 ता 9 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 3 के पक्ष में तर्क कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम भांगवा के वर्तमान खाता सं 127/128 के खसरा नम्बर 30 की 3.4010 हैक्टेयर, खसरा संख्या 74 की 4.894 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 178 की 5.5760 हैक्टेयर कुल खसरा 3 की कुल 13.8710 हैक्टेयर बारानी में प्रतिवादी श्योचन्द के नाम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी जलेसिंह एवं प्रतिवादी सं 1 श्योचन्द, प्रतिवादी संख्या 2 बलराम व प्रतिवादी संख्या 3 रिछपाल बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** चूंकि प्रतिवादी सं0 4 ता 9 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़ (seal)

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:44 IST
Reason: SelfAttested